(23)

न्यायायल राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक — /2018 पुनरीक्षण
ई/निगरानी/टीकमगढ/भू.रा/2018/0174

1. बांकेलाल आत्मज लछू अहिरवार
2. नन्नू आत्मज लछू अहिरवार
3. संजू पुत्र मुकुन्दे अहिरवार
4. रगवर आत्मज मुकुन्दें अहिरवार

समस्त निवासीगण ग्राम– खरोई तहसील जतारा जिला– टीकमगढ – आवेदकगण

विरूद्ध

1. दुर्जनसिंह आत्मज बिलासी पाल
2. उपेन्द्र नाबालिग पुत्र दुर्जनसिंह पाल [illegible]
3. [illegible]

निवासीगण ग्राम– खरोई तहसील जतारा जिला– टीकमगढ — अनावेदकगण

श्री S. K. Vajpai को 4-1-2018 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 16-1-2018 नियत। 4-1-18
रीडर कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

नायब तहसीलदार वृत दिगोडा जिला– टीकमगढ द्वारा प्रकरण कमांक 4–अ/70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 9–12–2017 के विरूद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा – 8 एवं धारा–50 मध्यप्रदेश भू– राजस्व संहिता 1959.

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है:–

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं आदेश अवैध अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है.
2. यह कि, अनावेदकगण की और से कलेक्टर के समक्ष जनसुनवायी में दिये गये सीमांकन आवेदन पत्र पर मनमाने ढंग से कार्यवाही करते हूए राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के आधार पर आवेदकगण के विरूद्ध की जा रही 250 की कार्यवाही पूर्णतः विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है.
3. यह कि तथाकथित रूप से की गयी सीमाकंन की कार्यवाही विधि के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2018/0174

बांकेलाल आदि विरूद्ध दुर्जन सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–04–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी एवं अनावेदक की ओर से श्री रविन्द्र सिंह राजपूत अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 की सहपठित धारा 8 के अंतर्गत नायब तहसीलदार वृत दिगोड़ा, जिला–टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 4/अ–70/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 09–12–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध निगरानी में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 8 का उपयोग किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–टीकमगढ़ के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06–06–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) 25/4/19 सदस्य	